भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3912
दिनांक 19 दिसंबर, 2024

पीएमयूवाई 2.0 के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों के लिए रसोई गैस कनेक्शन

†3912. एडवोकेट अदूर प्रकाश :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रवासी श्रमिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (पीएम-उज्ज्वला 2.0) के अंतर्गत प्रवासी श्रमिक संपूर्ण देश के उन राज्यों में जहां वे काम कर रहे हैं, पता के प्रमाण के बिना रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने में सक्षम हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितने श्रमिकों ने इसका लाभ उठाया है;
(ग) क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्रवासी श्रमिकों को अभी भी बिना पते के प्रमाण के रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार तेल कंपनियों को इस मुद्दे का समाधान करने के लिए निदेश देगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): पूरे देश में गरीब परिवारों की व्यस्क महिला सदस्यों को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की गई थी। पीएमयूवाई चरण-I के तहत 8 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य के साथ अगस्त, 2021 में पीएमयूवाई चरण-2 (उज्ज्वला 2.0) की शुरूआत की गई थी, जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। तत्पश्चात सरकार ने उज्ज्वला 2.0 के तहत और 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निश्चय किया तथा दिसंबर 2022 के दौरान उज्ज्वला 2.0 के 1.60 करोड़ उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन के लक्ष्य को पहले ही हासिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पीएमयूवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को अनुमोदित कर दिया था जिसे पहले ही जुलाई, 2024 में हासिल किया जा चुका है। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहले नि:शुल्क रिफिल और स्टोव के साथ जमानत राशि के बिना कनेक्शन प्रदान किए गए।

उज्ज्वला 2.0 के तहत प्रवासी श्रेणी में आवेदकों के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। प्रवासी आवेदक पते एवं पारिवारिक संरचना के वैध प्रमाण के रूप में एक स्वघोषणा प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 01.12.2024 की स्थिति के अनुसार, देश में 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं। प्रवासी परिवारों को जारी किए गए पीएमयूवाई कनेक्शनों का राज्य/के.शा.प्र. वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इस योजना से जुड़ी सूचना को नियमित रूप से विशिष्ट जागरुकता अभियानों, विशेष रूप से उच्च प्रवासी जनसंख्या वाले राज्यों/भौगोलिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखते हुए प्रचारित-प्रसारित किया जाता है।

सरकार द्वारा पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी तक पहुँच और वहनीयता सुनिश्चित करने के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति व्यक्ति खपत (14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर के संदर्भ में) 3.68 (वित्त वर्ष 2021-22) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.95 और वित्त वर्ष 2024-25 (नवंबर, 2024 तक) 4.34 हो गई है। पीएमयूवाई खपत में अक्टूबर, 2023 की तुलना में अक्टूबर, 2024 के दौरान 24.3% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है (इस अवधि के दौरान पीएमयूवाई के कुल खपत में 459 टीएमटी से 570.7 टीएमटी बढ़ोत्तरी हुई है)।

अनुलग्नक

"पीएमयूवाई 2.0 के अन्तर्गत प्रवासी श्रमिकों के लिए रसोई गैस कनेक्शन" विषय पर दिनांक 19.12.2024 को एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3912 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 01.12.2024 की स्थिति के अनुसार प्रवासी श्रेणी के अन्तर्गत निर्गत पीएमयूवाई कनेक्शनों का राज्य/के.शा.प्र. वार विवरण

राज्य	पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	44
आंध्र प्रदेश	4,074
अरुणाचल प्रदेश	187
असम	17,421
बिहार	1,08,736
चंडीगढ़	1,764
छत्तीसगढ	30,022
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	880
दिल्ली	1,57,548
गोवा	1
गुजरात	69,576
हरियाणा	14,096
हिमाचल प्रदेश	4,249
जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश	1,008
झारखंड	48,004
कर्नाटक	4,468
केरल	564
लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश	-
लक्षद्वीप	-
मध्य प्रदेश	64,105
महाराष्ट्र	49,961
मणिपुर	741
मेघालय	27
मिजोरम	1
नगालैंड	214
ओडिशा	26,352
पुदुच्चेरी	485
पंजाब	61,096
राजस्थान	12,523
सिक्किम	3
तमिलनाडु	62,812
तेलंगाना	17,301
त्रिपुरा	2,314
उत्तर प्रदेश	2,39,219
उत्तराखंड	24,407
पश्चिम बंगाल	14,293

स्रोत – उद्योग आधार पर इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

****